बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A022-20232024-995-22-4-2023-1766350

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक -2056 के लघुशीर्ष 101-03- समस्त कारागार के मानक पद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 2410.00 लाख से समलघुशीर्ष 101-03- समस्त कारागार के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में रू0 1708.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	01 (वेतन)	5,17,60,59,000 रुपये पांच अरब सत्रह करोड़ साठ लाख उनसठ हजार मात्र	24,10,00,000 रुपये चौबीस करोड़ दस लाख मात्र	24,10,00,000 रुपये चौबीस करोड़ दस लाख मात्र	17,08,00,000 रुपये सत्रह करोड़ आठ लाख मात्र	5,00,52,59,000 रुपये पाँच अरब बावन लाख उनसठ हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 24,10,00,000	₹ 17,08,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	23,00,000 रुपये तेइस लाख मात्र	2023-2024
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	42 (अन्य व्यय)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	16,00,00,000 रुपये सोलह करोड़ मात्र	11,00,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ मात्र	31,00,00,000 रुपये इकतीस करोड़ मात्र	2023-2024
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	29 (अनुरक्षण)	15,00,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	6,00,00,000 रुपये छः करोड़ मात्र	21,00,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ मात्र	2023-2024
कुल				₹ 24,10,00,000	₹ 17,08,00,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31921/बजट अनुभाग, दिनांक 27-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-24 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के मानक पद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 2410.00 लाख से समलघुशीर्ष 101-03- समस्त कारागार के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में रू0 2410.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-10-2023 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तो के अधीन रू0 1708.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है, जिसे संलग्नकर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर - 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है । प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में महानिरीक्षक, कारागार समस्त औपचारिकताओ की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा ।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।

(4) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(5) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

संख्याः RE-budget-1-262-E-12-418-X-2023-24-दिनाँकः22-12-2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

मदन मोहन त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या :79/2023/995 /22-4-2023, दिनांक- 28 दिसंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल-आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।